FIRST INFORMATION REPORT

(Under Section 154 Cr.P.C.)

1. **District**: STATE VIG BUREAU **PS**: SVB ROHTAK **Year**: 2013 **FIR No**: 40 **Date**: 28-11-13

2. **Act(s)**: P.C. ACT **Section(s)**

(i) PREVENTION OF CORRUPTION ACT 1988 7 P.C. ACT

(ii)

(iii)

(iv)

3. **Occurrence of Offence:**

(a) **Day**: Thuresday **Date From**: 28-11-2013 **Date To:** : 28-11-2013

Time Period: **Time From:** **Time To**: 2-00 P.M

(b) **Information received at P.S: Date:** : 28-11-2013 **Time**: 07: 00 P.M

(c) **General Diary Reference:** **Entry No.: 11** **Time:** 07:00 P.M

4. **Type of Information: WRITTEN**

5. **Place of Occurrence: Inspector Rakesh kumar S.V.B unit karnal**

(a) Direction and Distance from P.S.: North 110 K.M. **Beat No**.:

(b) Address: SVB Unit Karnal

(c) In case, Outside the limit of the Police Station:

Name of P.S: SVB ROHTAK **District: Rohtak**

6- Complainant/Informant:

a. **Name:** Satish kumar s/o Sh. Lal Singh R/O Byana Vill. Tr. Inderi Disstt. karnal

b. **Birth year:** **Nationality:** INDIAN

c. Passport No. **Date of issue:** **Place of Issue:**

d. Occupation:

e. Address: Village Byana . Tr. Inderi Disstt. karnal

7- Details of known/Suspect/Unknown accused with full particulars(attach separate sheet if necessary):

Sh. Deepak Sub Division Employnent officer Indri Disstt karnal

8- Reason for delay in reporting by the complainant/informant:

9- Particulars of the properties stolen/involved(attach separate sheet if necessary):

SI.No.	**Property Type(Description)**	**Est. Value(Rs.)**	**Status**

(i)

(ii)

(iii)

10- Total value of property stolen:

11- Inquest Report/U.D Case No., if any

12- F.I.R Contents (attach separate sheet, if required):

सेवा में, श्रीमान् इन्सपैक्टर विजिलैन्स विजिलैन्स डिपार्टमैंट करनाल विशय रि वत मांगने बाबत ि ाकायत श्रीमान् जी निवेदन यह है कि मै सती ा कुमार सुपुत्र श्री लाल सिंह गावं ब्याना तहसिल इन्द्ररी जिला करनाल का रहने वाला हुॅ मैने वर्श 2005 मे स्नातक (बी0ए0) की परीक्षा पास की थी उसके बाद मुझे नौकरी नही मिलने के कारण मैने अपना नाम रोजगार कार्यालय इन्द्ररी मे रजिस्टर न0 430/6 दिनांक 05/04/06 को दर्ज करवाया था और तब से मेरा नाम लगातार रोजगार कार्यालय मे चला आ रहा है। सरकार की नीतियो के अनुसार बेरोजगार युवक को जिसका नाम रोजगार कार्यालय मे दर्ज हो और उसे कोई नौकरी ना मिले तो सरकार की तरफ से तीन वर्श पुरे होने पर उसको बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है मेरा तीन वर्श का समय पुरा होने पर मैने बेरोजगारी भत्ता के लिए लगातार आवेदन करके बेरोजगारी भत्ता से सम्बनधित दस्तावेज की फाईल जमा करवाता आ रहा हुॅ। परन्तु मुंझे आज तक कोई भत्ता नही दिया गया भत्ता प्राप्त करने के लिए मै रोजगार कार्यालय के बार–बार सम्पर्क करता रहा जो रोजगार कार्यालय द्वारा यही जवाब दिया जाता रहा कि कोई बात नही भत्ता अगले छः माह बाद आयेगा जो इक्ठ्ठा मिलेगा मुझे आज तक कोई भत्ता नही दिया गया है मैने और मेरे भाई मनीश कम्बौज जिसने स्नातक के बाद रोजगार कार्यालय मे रजिस्टेन न0 1040/09 दिनांक 27/07/09 को नाम दर्ज करवा रखा था हमने नयें सिरे से बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने हेतू सम्बन्घित दस्तावेज पुरे करके फाईल बेरोजगारी कार्यालय मे देने पहुचे तो वहा दीपक उप मण्डल रोजगार अधिकारी इन्द्री मिला जिसने मेरी फाईलो को देख कर कहा कि बिना पैसे बेरोजगारी भत्ता नही मिलेगा बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने के लिए एक फाईल के हिसाब से 1500 रू0 लगेगे 1500 रू0 दे दो उसके बाद जो भत्ता तुम्हे चार साल से नही मिला है तुम्हे मिलना भाुरू हो जायेगा मैने कहा की हमारी दो फाईले मेरी व मेरे भाई मनीश कम्बौज की है तो उसने कहा कि आपको 3000 रू0 देने पडेगे और आप दोनो को भत्ता मिलना भाुरू हो जायेगा परन्तु मै भारत का एक ईमानदार नागरिक होने के नाते रि वत के 3000 रू0 नही देना चाहता हुॅ। इसलिए मै भ्रश्टाचार को खत्म करने हेतू दीपक उप मण्डल रोजगार अधिकरी इन्द्री के खिलाफ कानूनी कार्यावाही करवाना चाहता हुॅ अतः कार्यावाही की जावे हस्ता अग्रजी सती ा कुमार प्रार्थी सुपुत्र लाल सिहं गॉव ब्याना तहसील इन्द्री जिला करनाल मोबाईल न0 9813753001 दिनांक 28/11/2013 कार्यावाही पुलिस आज मै एस0वी0बी0 यूनिट करनाल मे हाजिर हुॅ कि श्री सती ा कुमार पुत्र श्री लाल सिंह गाव ब्याना तहसील इन्द्री जिला करनाल ने कार्यालय मे हाजिर आकर यह दरखास्त पे ा की दरखास्त मे लिखित मजबुन से अपराध धारा 7 पी0सी0 एक्ट 1988 का सरजद होना पाया जा कर तहरीर बराये कायमी मुकदमा बदस्त ई0एच0सी0 सुरेन्द्र कुमार 52/करनाल के थाना एस0वी0बी0 रोहतक भेजी जा रही है। मुकदमा दर्ज करके नम्बर मुकदमा से सूचित किया जाये तथा स्पे ाल रिपोर्ट इलाका मैजिस्टेट करनाल की सेवा मे भेजी जावे मन नि0 मय एस0आई0 सुभाश चन्द्र ई0ए0एस0 सतपाल 704/कुरूक्षेत्र व सि0 प्रदीप कुमार 1225/पानीपत व मुदई सती ा कुमार के बराये कार्यावाहि रेड बा सवारी सरकारी गाडी एच0आर0 03 एल0 6881 जिसका चालक ई0एच0सी0 रो ान लाल 156/कुरूक्षेत्र है के रवाना कार्यालय उपायुक्त करनाल व मौका रेड का होता हुॅ हस्ता अग्रेजी राके ा कुमार नि0 राज्य चौकसी ब्यूरो (ह) उपकेन्द्र करनाल समय 2–पी0एम0 आज कार्यालय एस0वी0बी0 करनाल आज थाना आमद तहरीर पर मुकदमा बा जुर्म दर्ज रजिस्टर करके नकल एफ0आई0आर0 तैयार की गई जो अफसरान बाला की सेवा मे भिजवाई जावेगी स्पे ाल रिपोर्ट आरिन्दा ई0एच0सी0 सुरेन्द्र कुमार न0 52/करनाल द्वारा ईलाका मैजिस्टेट

साहब करनाल भेजी गई नकल मि ाल पुलिस मय असल तहरीर मौका पर आई0ओ0 साहब को देने के लिए साथ दी गई।

Action Taken (Since the above information reveals commission of offence(s)u/s as mentioned at item No.2:

(i) Registered the case and took up the investigation **OR**

(ii) Directed(Name of the I.O.): Inspector Rakesh kumar

Rank: Inspector

No.: 93 HAP **to take up the investigation,OR**

(iii) Refused investigation due to:

OR

(iv) Transferred to P.S.(name):

On point of jurisdiction: **District:**

F.I.R. read over to the complainant/informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant, free of cost:

R.O.A.C.:

14.

Signature/Thumb Impression
Of The Complainant/Informant:

Signature of Officer
Name: Insp. Rambhaj
Rank: Inspr. No: 179/RR

15 **Date and Time of despatch to the court:** बदस्त ई0एच0सी0 सुरेन्द्र कुमार 52/करनाल